

क्रमांक सं.3(3)(3)स्था/मंत्रा/अभि./2020/10980-83

दिनांक :- 09/11/2021

श्री रूप सिंह मीणा पुत्र श्री हल्के राम,
निवासी :- गॉव-रतनापुरा, पोस्ट-लूलोज,
तहसील-सपोटरा, जिला-करौली, राज. 322218

विषय:- दस्तावेजों के सत्यापन एवं काउंसलिंग के संबंध में।

सन्दर्भ:- प्रशासनिक सुधार (ग्रुप-3) विभाग शासन सचिवालय जयपुर के पत्र क्रमांक प. 1(1)प्र.सु./अनु.-3/2020-NJRs जयपुर दिनांक 20.10.2021 एवं निदेशालय के समसंख्यक पत्र क्रमांक 10736-37 दिनांक 29.10.2021 के क्रम में।

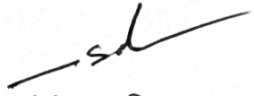
उपरोक्त सन्दर्भित पत्र क्रमांक प.1(1)प्र.सु./अनु.-3/2020-NJRs जयपुर दिनांक 20.10.2021 एवं परिपत्र क्रमांक प.1(1)प्र.सु./अनु.-3/2020 पार्ट जयपुर दिनांक 18.05.2020 में दिये गये दिशा निर्देशानुसार लिपिक ग्रेड द्वितीय संयुक्त प्रतियोगी परीक्षा-2013 के अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति के बैकलॉग पदों पर कनिष्ठ सहायक भर्ती परीक्षा-2018 की रिजर्व लिस्ट से पिक-अप कर चयनित अभ्यर्थियों में से कार्यग्रहण नहीं करने वाले अभ्यर्थियों के विरुद्ध प्रतीक्षा सूची से प्राप्त 86 अभ्यर्थियों में से आपका आवंटन इस विभाग में किया गया है। आपको नियुक्ति दिये जाने के सम्बन्ध में जिले का आवंटन एवं नियुक्ति प्रक्रिया अपनाई जानी है। उक्त प्रशासनिक सुधार (ग्रुप-3) विभाग के सन्दर्भित पत्र के क्रम में निदेशालय के समसंख्यक पत्र क्रमांक 10736-37 दिनांक 29.10.2021 के द्वारा आवश्यक दस्तावेजों की पूर्ति करने हेतु आपको पूर्व में सूचित किया जा चुका है।

अतः आपको राजस्थान सेवा नियम एवं राजस्थान अधीनस्थ कार्यालय लिपिक वर्गीय सेवा नियम 1999 के अंतर्गत कनिष्ठ सहायक के पद पर नियुक्ति दिये जाने के सम्बन्ध में Documents Verification / Counseling का कार्य दिनांक 15-11-2021 को अभियोजन निदेशालय, राजस्थान जयपुर, कमरा न. 7226 खाद्य भवन, द्वितीय मंजिल, शासन सचिवालय राजस्थान जयपुर में निम्नलिखित शर्तों एवं प्रशासनिक सुधार विभाग द्वारा जारी दिशानिर्देशानुसार सम्पन्न किया जाना है:-

1. नियुक्ति अधिकारी द्वारा चयनित अभ्यर्थियों में से यदि कोई पति-पत्नी पूर्व में से ही राज्य सेवा में जिस जिले में पदस्थापित है को उस जिले में रिक्त पद होने की स्थिति में प्राथमिकता के आधार पर उसी जिले में पदस्थापन स्थान आवंटित किया जावेगा।
2. नियुक्ति अधिकारी द्वारा चयनित अभ्यर्थियों में से कोई अभ्यर्थी शहीद परिवार का आश्रित हो/अभ्यर्थी के माता-पिता अथवा पति-पत्नी असाध्य रोग से ग्रसित हो तो रिक्त पद उपलब्ध होने की स्थिति में नियुक्ति अधिकारी ऐसे तथ्यों की पुष्टि कर उपलब्ध रिक्तियों के आधार पर जिला आवंटन करने में प्राथमिकता दी जावेगी।
3. Documents Verification / Counseling के लिए उपस्थित होने पर अभ्यर्थियों की किसी भी प्रकार किराया व कोई अन्य भत्ता देय नहीं होगा।

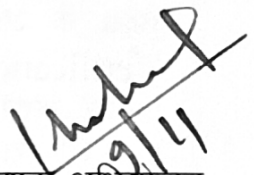
4. निदेशालय द्वारा पूर्व में जारी पत्र 10736-37 दिनांक 29.10.2021 में दिये गये निर्देशानुसार समस्त दस्तावेज पूर्ण कर प्रस्तुत करने है। उक्त दिशा निर्देश विभाग की वेबसाइट Department of Prosecution Rajasthan Jaipur का अवलोकन करें।
5. Documents Verification / Counseling में उपस्थित होने वाले अभ्यर्थी को कोविड-19 की रोकथाम हेतु राज्य सरकार द्वारा जारी दिशानिर्देशानुसार मास्क एवं दस्ताने पहनकर ही काउंसलिंग समिति के समक्ष उपस्थित होना अनिवार्य है। यदि अभ्यर्थी इसका पालना नहीं करता है तो उस अभ्यर्थी को काउंसलिंग में शामिल नहीं किया जावेगा, जिसकी जिम्मेदारी अभ्यर्थी की होगी।
6. प्रशासनिक सुधार (ग्रुप-3) विभाग शासन सचिवालय जयपुर के परिपत्र क्रमांक प.1(1)प्र.सु./अनु.-3/2020 पार्ट जयपुर दिनांक 18.05.2020 एवं पत्र क्रमांक प.1(1)प्र.सु./अनु.-3/2020-NJR's जयपुर दिनांक 20.10.2021 में दिये गये दिशानिर्देशानुसार Documents Verification / Counseling का कार्य नियमानुसार संपादित किया जावेगा।
7. काउंसलिंग में उपस्थिति के दौरान विभाग द्वारा जिला आवंटन के संबंध में अभ्यर्थी को सहमति पत्र प्रस्तुत करना होगा।
8. नियुक्ति अधिकारी द्वारा अपने स्तर पर विभागीय विशेष परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए काउंसलिंग हेतु उपरोक्त के अतिरिक्त अन्य शर्तें भी नियत की जा सकेंगी।

कनिष्ठ सहायक की नियुक्ति सम्बन्धी समस्त सूचनाएँ विभागीय वेबसाइट पर ही अपलोड की जावेगी। अतः आपको निर्देशित किया जाता है कि नियुक्ति सम्बन्धी कार्यवाही प्रक्रियाधीन होने के कारण प्रतिदिन विभागीय वेबसाइट Department of Prosecution Rajasthan Jaipur का अवलोकन किया जाना सुनिश्चित करें।


 (चंचल मिश्रा)
 निदेशक अभियोजन
 राजस्थान जयपुर

प्रतिलिपि:- सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है:-

1. विभागीय कमेटी अभियोजन निदेशालय राज0 जयपुर।
2. निजी सचिव निदेशक अभियोजन राज0 जयपुर।
3. शासन उप सचिव, प्रशासनिक सुधार (अनुभाग-03) विभाग राज0 जयपुर।
4. रक्षित पत्रावली।


 निदेशक अभियोजन
 राजस्थान जयपुर